भाग–iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

हॉ

दिनांक - 10.12.2020 संलग्न है।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

जनहित के लाभ हेतु प्रस्ताव को कण्ड सहित स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
वन संरक्षक
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

हस्ताक्षर

दिनॉक– 16.12.2021

नाम–

स्थान– वाराणसी

सरकारी मोहर

निरीक्षण टिप्पणी

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेल ट्रैक दोहरीकरण में **जनपद–गाजीपुर** में किमी0–1.900 से 10.900 तक, प्रभावित संरक्षित वन **भूमि 6.50572 हे0** व **बाधक वृक्ष 09** तथा **जनपद–जौनपुर** वन प्रभाग में किमी0 10.900 से 57.400 तक प्रभावित **43.41704 हे0** संरक्षित वन भूमि व **बाधक 1337** वृक्ष कुल प्रभावित **49.92276 हे0** संरक्षित वन भूमि व **1346 बाधक वृक्ष** से सम्बन्धित प्रस्ताव पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उक्त स्थल का निरीक्षण पूर्वोत्तर रेलवे सीनियर सेक्शन इन्जीनियर के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा **दिनांक–10.12.2020** को किया गया। निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि रेलवे विभाग द्वारा ज्यादातर रेलवे पटरी लाइन बिछी हुई देखी गयी । पूछने पर बताया गया कि यह कार्य लाकडाउन के दौरान हुआ है ।

समयक विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है और मांगी गयी संरक्षित वन भूमि परियोजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है। रेलवे विभाग **द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है।** ऐसी स्थिति में जनहित के लाभ हेतु प्रस्ताव को आर्थिक दण्ड के साथ स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है ।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त वाराणसी